क्रम संख्या–015 (क–7)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 13 फरवरी, 2001 ई0
माघ 24, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
कृषि अनुभाग

संख्या 343 / कृषि / 2000–2001
देहरादून, 13 फरवरी, 2001

अधिसूचना

प0 आ0–015

कीटनाशी अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या 46 सन् 1968) की धारा 12 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उप कृषि निदेशक (मुख्यालय) पौड़ी को कीटनाशी नियमावली, 1971 के पैरा 9 के अन्तर्गत उत्तरांचल प्रदेश में लाईसेन्स जारी करने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 15 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अनुज्ञापन प्राधिकारी के धारा 13 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के विरूद्ध कृषि निदेशक, उत्तरांचल को "अपील प्राधिकारी" नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,
(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास।